मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 2006 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 24 जुलाई, 2006 (श्रावण 2, 1928)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

(1) श्री गजराम सिंह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,

(2) श्री रामचन्द्र चौधरी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा, तथा

(3) श्री वीरेन्द्र कुमार तिवारी, इंडियन नेशनल कांग्रेस विधायक दल मध्यप्रदेश के स्थायी सचिव.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 (7) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36 (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, ग्रामोद्योग मंत्री, मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 (क्रमांक 16 सन् 1978) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004 पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री सज्जन सिंह वर्मा, राजेश पटेल, सत्यदेव कटारे, सदस्य, भोपाल नगर में डकैती एवं लूट की अनेक घटनाएं घटित होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री शिवराज शाह, सदस्य, मंडला जिले के नैनपुर क्षेत्र में अवैध क्रेशर मशीनें चालू होने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री दरबू सिंह उइके, सदस्य, पन्ना जिले के वन परिक्षेत्र अजयगढ़ में वनों की अवैध कटाई किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री उमाशंकर गुप्ता, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य, रतलाम में शराब माफिया द्वारा जिला आबकारी अधिकारी पर प्राणघातक हमला किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री राजेश पटेल, सदस्य, धार जिले की कृषि उपज मंडी, कुक्षी द्वारा कॉटन प्रोजेक्ट से संबंधित निविदा में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य, मुरैना जिले में अल्प वर्षा से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5.याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर,सदस्य,टीकमगढ़ जिले के -

(क) ओरछा स्थित स्मारकों के जीर्णोद्धार किये गये कार्यों की जांच कराये जाने,

(ख) ओरछा में पर्यटक पुलिस तैनात किये जाने,

(ग) निवाड़ी तिगेला के आगे नाले पर पुलिया बनाये जाने, तथा

(घ) ओरछा के पास बेतवा नदी पर फिल्टर प्लांट लगाये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. मुख्यमंत्री का वक्तव्य

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के हित में एवं विद्युत बिलों की बकाया राशि के कारण विच्छेदित विद्युत कनेक्शनों को सुविधा प्रदान करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

7.शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक,2006 (क्रमांक 17 सन् 2006) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 18 सन् 2006) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 19 सन् 2006) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(4) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 20 सन् 2006) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

8. वर्ष 2006-2007 की प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"दिनांक 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 64, 67, 68, 69, 72, 76, 77, 79, 80, 81 एवं 82 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर तेरह सौ सत्रह करोड़, एक लाख, सत्रह हजार, छः सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय. "

2 घन्टे

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2006 (क्रमांक 16 सन् 2006) का *पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा — (2) श्री रामपाल सिंह, सामाजिक न्याय मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निराश्रितों एव निर्धन व्यक्तियों की सहायता (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 13 सन् 2006) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. — (3) श्री नागेन्द्र सिंह, राज्य मंत्री गृह, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 14 सन् 2006) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. — (4) श्री नागेन्द्र सिंह, राज्य मंत्री गृह, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश धर्म स्वातन्त्र्य (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 15 सन् 2006) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 23 जुलाई, 2006

***अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.**